कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय पता :– 85–राजपुर रोड़, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून☎ 0135–2740391 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

वनादेश संख्या 36 /1–12 देहरादून दिनांक, 23,अक्टूबर, 2021.

पदोन्नति आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 (यथा संशोधित) में दिये गये प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या 830 / X–1–2019–01(119) / 2021 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार समूह ''घ'' चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को वन आरक्षी समूह ''ग'' के पद पर पदोन्नति हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या 55 / 1–12(12) दिनांक 08.07.2021 से पदोन्नति हेतु चयन समिति गठित की गयी। जिसकी द्वितीय बैठक दिनांक 20.07.2021 एवं चतुर्थ बैठक 18.10.2021 को आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्न समूह ''घ'' चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को वन आरक्षी **वेतनमान रू0 21700–69100 वेतन मैट्रिक्स लेवल –3** के पद पर **कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत** कर तैनाती जनहित में की जाती है :–

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	कार्यालय जिसमें कार्यरत है
1	2	3
1	श्री हरीश सिंह गुसांई	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
2	श्रीमती लक्ष्मी देवी	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
3	श्री केशव दत्त जोशी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
4	श्री अशोक पाल	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
5	श्री गंगा सिंह	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

सम्बन्धित कार्मिक अपनी पदोन्नति पर योगदान 15 दिन के अन्दर वर्तमान तैनात कार्यालय में ही देना सुनिश्चित करें। कार्मिकों की पदोन्नति / तैनाती पर योगदान करने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्य रूप उपलब्ध करवायी जाये। यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है, तो सम्बन्धित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

चतुर्थ श्रेणी से वन आरक्षी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके चतुर्थ श्रेणी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर पृथक से निर्धारित की जायेगी। अतः उपरोक्त तालिका को वरिष्ठता का आधार न माना जाये।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप चयनित वन आरक्षियों के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके समस्त मूल अभिलेखों का स्वंय परीक्षण कर लें। कार्मिकों की फील्ड तैनाती उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7 (घ) व धारा 19(1) व (2) का संज्ञान लेते हुए कर दिया जाय। नियंत्रक अधिकारी कार्मिकों को आगामी प्रशिक्षण सत्र में 06 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करवाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करेगें।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पंत्राक 771 /1– 12(12) दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त **पदोन्नत वन आरक्षी को आगामी प्रशिक्षण सत्र में** प्रशिक्षण हेतु नामित करना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
7. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
8. आदेश में अंकित समस्त अधिकारी/कार्यालय।
9. सम्बन्धित समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. आदेश में अंकित समस्त कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
11. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

I.T.G.C
अपलोड कर पंजी करें।

C.C.F
25.10.21